आर. राजेश
निदेशक
R. Rajesh
Director
TEL.: 011-23344933
FAX: 011-23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
E-mail : r.rajesh@nic.in, mplads@nic.in

फा.सं.सी/42/1/2011-एमपीलैड्स (खंड II)

दिनांक: 10/12/2012

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देश– संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति/अस्वीकृति

महोदय/महोदया,

वर्तमान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 के अनुसार, सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्यों को अनुशंसा की प्राप्ति की तारीख से 75 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जानी चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा ।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई समय अवधि वह अधिकतम अवधि है जिसके भीतर माननीय संसद सदस्य द्वारा की गई अनुशंसाओं को स्वीकृत/अथवा अस्वीकृत करना होता है । उन मामलों में जो प्रथम दृष्टया दिशानिर्देशों के तहत शामिल नहीं हैं, अस्वीकृति की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए । अन्य मामलों में जिनमें तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन अथवा भूमि की पहचान आदि शामिल होते हैं, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 में दी गई अधिकतम समय-सीमा के बावजूद, अनुशंसाओं को जांच के पश्चात् यथाशीघ्र स्वीकृत/अथवा अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

3. इन दिशानिर्देशों का एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर.राजेश)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबद्ध नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।